"आदेश"

आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ पत्रांक संख्या 335/पी0ए0–2018 दिनांक 17 जनवरी, 2018 द्वारा समस्त अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, मेरठ मण्डल को निर्देशित, समस्त विभागों के टेण्डर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3/2017/1067/78–2–2017– 42आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 द्वारा पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निमायों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई–प्रोक्योरमेन्ट/ ई–टेण्डरिंग प्लेटफार्म http:etener.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में, चालू अनुबन्ध (Running Contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate Contract) हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट/ ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न जिला पंचायतों में ई–टेण्डरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत केवल सम्बन्धित जिला पंचायतों के रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही ई–टेण्डरिंग में भाग लेने हेतु अनुमन्य किया जा रहा है। यह शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। प्रश्नगत शासनादेश में भी यह स्पष्ट है कि शासकीय विभागों में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की गयी है। जिला पंचायत में यदि केवल रजिस्टर्ड ठेकेदार द्वारा टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, तो ठेकेदारों की सीमित भागीदारी होने के कारण निर्माण कार्यों तथा सामग्री क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं हो पायेगी। साथ–साथ जिला पंचायत में पूर्व से कार्यरत ठेकेदारों द्वारा सांठगांठ (collude) करने की सम्भावना से प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं मिल पायेगा तथा इन ठेकेदारों का वर्चस्व भी बना रहेगा। ऐसी स्थिति में शासन की मंशानुसार शासकीय विभागों में पारदर्शी एवं स्वच्छ प्रशासन तथा निर्माण कार्यों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित जिला पंचायत के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्थाओं, जैसे **लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिंचाई विभाग** में रजिस्टर्ड ठेकेदरों से भी टेण्डर आमंत्रित किया जाये, जिससे निर्माण कार्यों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनी रहे तथा किसी भी ठेकेदार का अनुचित प्रभाव निर्माण कार्यो पर न पड़े। इस प्रकार आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत के निर्माण कार्यों को कराने के लिये जिला पंचायतों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्थाओं में रजिस्टर्ड ठेकेदारों से भी टेण्डर आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। और यदि पूर्व में निर्माण कार्यों के लिये किये गये टेण्डर में केवल जिला पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही अर्ह मानकर टेण्डर किये गये हैं, जो कृपया उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुनः टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही करने के आदेश भी पारित किये गये हैं।

कार्यालय जिला पंचायत के पत्रांक **1748/अनुभाग–2/05732–282160/2017–18** दिनांक 20,जनवरी 2018 के द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम–1961 के अधीन उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 की धारा–18 अन्तर्गत अनुमोदित ठेकेदारों का एक रजिस्टर प्रपत्र संख्या नि0 का0–1 में जिला पंचायत के कार्यालय में रखा जाता है। उपरोक्त आदेशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा सिंचाई विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदारों को भी सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन (समस्त पपत्रों सहित) के प्रमाणित अभिलेख, जिला पंचायत के पक्ष में सामान्य जमानत रू0 1.00 लाख व जिला पंचायत की रजिस्ट्रेशन फीस रू0 15,000.00 पन्द्रह दिवस में जमा कराकर सभी ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत की सार्वजनिक निर्माण समिति या कार्य–कारिणी का एक सप्ताह में अनुमोदन लेने के पश्चात् सभी ठेकेदार जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदार माने जायेंगें, और ई–निविदा में भाग ले सकेंगे। इस प्रकार जिला पंचायत के अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर पपत्र संख्या नि0 का0–1 में अनुमोदित ठेकेदारों के उक्त नाम बढा दिये जायेगें। जिसमें सम्बन्धित विभागों के निम्नप्रकार आवेदन प्राप्त हुए है।

शुल्क तथा धरोहर धनराशि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था अन्तर्गत आर्गनाइजेशन चार्ट के साथ, पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, पी0एन0बी0 हाउस, बुलन्दशहर में जिला पंचायत के खाता संख्या 0069000109295393 MICR Code : 203024006, IFSC Code : PUNB0456800 में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर के नाम चालान/NEFT/RTGS के माध्यम से एक सप्ताह में जमा कर, उसकी प्रति कार्यालय जिला पंचायत, बुलन्दशहर में जमा कराना होगा।

क्र0	ठेकेदार/फर्म का नाम व पता	उपयुक्त प्रपत्र	अनुपयुक्त प्रपत्र
1	2	3	4
1	श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी–ग्राम बिरौली थाना–अनूपशहर, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–9411834552	उपयुक्त	–
2	श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम असरौली, जिला–बुलन्दशहर, मो0नं0 9536312185	उपयुक्त	–
3	मैं0 ब्रजेश कुमार कान्ट्रैक्टर प्रो0 श्री ब्रजेश कुमार, निवासी–ग्राम बालका, थाना–औरंगाबाद, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–7060012526	उपयुक्त	–
4	सुश्री अनीता शर्मा पुत्री श्री रघुनाथ शर्मा, निवासी–ग्राम सुरजावली, थाना–सलेमपुर, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–9634059180	उपयुक्त	–
5	मैं0 अशोक गिरी कान्ट्रैक्टर प्रो0 श्री अशोक गिरी, निवासी–मौ0 पुख्ता बाजार, जहाँगीराबाद जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–7409280305	उपयुक्त	–
6	मैं0 प्रदीप गिरी प्रो0 प्रदीप गिरी, निवासी– 767 देवीपुरा–प्रथम जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–7409731990	उपयुक्त	–
7	मैं0 रामा कन्सट्रक्शन प्रो0 श्री प्रवीण कुमार शर्मा, निवासी–हातमपुर, थाना–शिकारपुर, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–9719256970	–	अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 8/2017/836/23–7–17– 176(स0)/06 एवं लो0नि0 वि0 के शासनादेश सं0 6738/23–7–06–176 (स0) /06 द्वारा एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–14/2017/2170/23–7–17–176(सा0) /06, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 आदेश के क्रम में फर्म के नाम हैसियत न होने के कारण।
8	मैं0 वीरेन्द्र सिंह कान्ट्रैक्टर प्रो0 श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम सलेमपुर, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–9758878087	–	अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 8/2017/836/23–7–17– 176(स0)/06 एवं लो0नि0 वि0 के शासनादेश सं0 6738/23–7–06–176 (स0) /06 द्वारा एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–14/2017/2170/ 23–7–17–176(सा0)/ 06, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 आदेश के क्रम में फर्म के नाम हैसियत न होने के कारण।

9	मै0 श्रीराम कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती सुनीता रानी गौतम, म0न0–694, मौ0 लक्ष्मणगंज, खुर्जा, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–9873152472		अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 8/2017/836/23–7–17– 176(स0)/06 एवं लो0नि0 वि0 के शासनादेश सं0 6738/23–7–06–176 (स0) /06 द्वारा एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–14/2017/2170/23–7–17–176(सा0)/06, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 आदेश के क्रम में फर्म के नाम हैसियत न होने के कारण।
10	श्री प्रियकान्त पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद, निवासी– ग्राम रतनपुर पो0 कसेर कलॉ, जिला बुलन्दशहर। मो0नं0– 9412503038	उपयुक्त	—
11	श्री मन्नू सिंह त्यागी पुत्र श्री भगवती प्रसाद त्यागी, निवासी– म0नं0–694 आदर्शनगर बाईपास रोड जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0–8392989016	उपयुक्त	—
12	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी–ग्राम व पो0–सैदपुर, जिला–बुलन्दशहर। मो0नं0– 9761110151	उपयुक्त	—
13	मै0 डी0टी0 कन्सट्रक्शन प्रो0 श्री किशन निवासी–ग्राम सोहरखॉ, थाना–अहमदगढ़, तह0– अनूपशहर, जिला– बुलन्दशहर। मो0न0– 9458549831	उपयुक्त	—

अत : उपरोक्तानुसार उपयुक्त पपत्र वाले ठेकेदारों को ठेकेदारी हेतु धनराशि जमा कराये जाने के आधीन पंजीकृत किया जाता है।

(प्रदीप कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

कार्यालय जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

पत्रांक 1895 /अनुभाग–2/05732–282160/2017–18 दिनांक : 09 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा सिंचाई विभाग, जनपद बुलन्दशहर।
4. प्रभारी अधिकारी, शासकीय बेवसाइट जिला कलेक्ट्रेट को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेशानुसार बेवसाइट **http://bulandshahr.nic.in** पर निविदा सम्बंधित समस्त सूचना अपलोड कराने का अनुरोध है।
5. कम्प्यूटर आपरेटर जिला पंचायत, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिला पंचायत के वैबसाईट **www.buzp.uppr.gov.in** पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

(प्रदीप कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।